पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 20 चैत्र, 1937 (श0) / 10 अप्रील, 2015 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) स्वास्थ्य विभाग	02
(2) ऊर्जा विभाग	01
कुल योग —	03

कार्रवाई करना

26. श्री संजय सिंह ''टाईगर''--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 मार्च, 2015 को प्रकाशित शीर्षक ''बेड पर चादर नहीं, धुलाई पर हर माह चार लाख खर्च'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पी0एम0सी0एच0 में मरीजों के बेड पर चादर की आवश्यकता 23,450 है लेकिन केवल 6,000 चादर ही उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मरीजों के बेड पर समुचित चादरों की आपूर्ति नहीं है लेकिन हर माह धुलाई के नाम पर 4 लाख रु0 खर्च किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने वाले पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बिजली उपलब्ध कराना

27. श्री विनय कुमार सिंह-- क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 19 से जुड़े महात्मा गाँधी सेतु पर वाहनों की परिचालन व्यवस्था पर नजर रखने तथा जाम से यात्रियों को मुक्ति दिलाने के लिये लाखों रुपये की राशि खर्च कर दो वर्ष पूर्व आधा दर्जन सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा था परन्तु बिजली नहीं रहने के कारण शाम के बाद अंधेरे में कैमरा काम करना बन्द कर देता है जिसके कारण कंट्रोल रूम में सेतु पर लगे इन कैमरों से पथ की गतिविधियों पर नजर रखने में कठिनाई होती है जिससे आये दिन सैकड़ों वाहनों के फंसने तथा हजारों यात्रियों के परेशान होने का सिलसिला जारी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गाँधी सेतु पर समुचित बिजली उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

28. डॉ0 इजहार अहमद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''दवा खरीद में लाखों का घोटाला'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के स्वास्थ्य महकमे में लाखों का दवा घोटाला उजागर वर्ष 2014 में हुआ जिसमें 7 रुपये 46 पैसे की दवा 19.05 रुपये में खरीदी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दवाओं की खरीद एकल निविदा से की गई जिसमें भारी अनियमितता पाई गई है, यदि हाँ, तो उक्त अनियमितता के विरुद्ध अभीतक कार्रवाई नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 10 अप्रील, 2015 (ई0)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 40-डी0टी0पी0-450